अर्द्धशा0 पत्र संख्या-डीजी- 60 /2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 21 ,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि **जनहित याचिका (क्रिमिनल) संख्या-2357/1997-बच्चे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** तथा समबद्ध रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-28-08-2014 को सुनवाई के दौरान कतिपय निर्देश दिये गये हैं, जिसमें अपेक्षा की गयी है कि :-

The Director General of Police should also issue a circular making it mandatory for the police to take precautions for the welfare of children left outside, whose mothers are in jail after inquiring from the woman if she has minor children and whether adult supervision is provided for these children. In cases of absence of responsible adult supervision outside, till the age of 6 years the child could be kept in with his mother, who is in custody. For older children (or children below 6 years where the mother does not want to keep the child with her), the Child Welfare Committee (CWC) should look to their welfare and institutionalization if necessary. An entry be made in the arrest memo about the action taken regarding the minor children of the woman, place it on record in court documents and inform prison authorities about the action taken at the time of judicial custody. The Probation Officer or DCPO be also informed about the action taken with regard to the children.

2. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश/निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित-28-08-2014 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी) 21/09/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।